तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 12/2018	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
22.12.2020	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 से 3 क्रमशः विपुल कुमार पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता, मैसर्स दर्शन किराणा स्टोर, बिलर रोड, नई झाडोली, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, रेखा, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गाडलीया वास, मेन रोड, झाडोली, जिला– सिरोही एवं अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स श्री श्याम सेल्स एजेन्सी, ई–6 सुरपोल मण्डी, फेज–2, जयपुर के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। प्रतिवादी सँख्या–4 (राजूभाई उकाभाई, नॉमिनी, फर्म SPD Industries Pvt. Ltd., Survey No.54/2A Plot No.1-2-3, Behind Fire Station, Ringanwada, Daman-396210) के वकील श्री दलपत राज परमार उपस्थि। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 (विपुल कुमार) की फर्म मैसर्स दर्शन किराणा स्टोर से दिनांक 13.10.2017 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-761 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1075/Act/2017/ 1075 दिनांक 16.11.2017 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया एवं प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–4 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से आज लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की आज बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) को जरिये बिल विक्रय किया है। अमानक खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय निर्माता फर्म SPD Industries Pvt. Ltd. द्वारा किया गया है, जिसके लिये निर्माता फर्म दोषी है, इसलिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या–1 से 3 को [illegible] किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या–4 के अधिवक्ता ने [illegible] यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप [illegible] की गई है एवं न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति निर्माता फर्म को दी गई है जिससे निर्माता फर्म उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के द्वितीय .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)

मु.जि. मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 12/2018	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

भाग की जांच करवाने के अधिकार से वंचित रही है। यह कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट अनुसारं खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) में मानक बिन्दु Butryorefractometer reading at 40 डिग्री सेंन्टीग्रेड की मात्रा 40-0 to 43-0 के स्थान पर 43.65 पाई गई है, इसके अलावा खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) अन्य मानकों के अनुरुप पाया गया है। निर्माता फर्म ने उक्त त्रृटि को सुधार दिया है व अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरुप ही घी (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय किया जा रहा है, इसलिये प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 13.10.2017 को समय 1.00 पी. एम. पर मैसर्स दर्शन किराणा स्टोर, बिलर रोड, नई झाडोली, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी विपुल कुमार पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान में 25 पैकेट जार घी (गोकुल ब्राण्ड) (प्रत्येक 500 एम.एल.) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता विपुल कुमार को गवाह श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मोहनलाल मेघवाल, निवासी– न्यू बस स्टेंण्ड के पीछे, बाबा रामदेव मंदिर के पास गली. 3, सिरोही एवं श्रीमती सोनाली अग्रवाल, नई झाडोली बिलर रोड के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की। आवेकद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थित में दुकान में रखे हुए घी (गोकुल ब्राण्ड) में से 4 मूल पैकेट जार घी (गोकुल ब्राण्ड) (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/– (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरियल पर कोड एवं क्रमांक S–761, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा घी (गोकुल ब्राण्ड) के चारों पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप S-761 को नियमानुसार चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहानं के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:50:22 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 12/2018	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विपुल कुमार ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का एक नमूना भाग फार्म नं. 6 सहित खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया एवं नमूने के शेष तीन भाग मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1075/Act/2017/1075 दिनांक 16.11.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-761 अमानक पाया (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2017/5363–66 दिनांक 18.12.2017 के द्वारा प्रतिवादी विपुल कुमार तथा निर्माता फर्म SPD Industries Pvt. Ltd. को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) को मूल कम्पनी पैक अवस्था में क्रय कर मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही विक्रय किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म SPD Industries Pvt. Ltd. है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि निर्माता फर्म SPD Industries Pvt. Ltd. ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत खाद्य पदार्थ घी (गोकुल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म SPD Indus[illegible] Ltd., Survey No.54/2A Plot No.1,2,3 [illegible] Station, Ringanwada, Daman-396210 पर [illegible] रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, निर्माता फर्म SPD Industries Pvt. Ltd., Survey

----लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Mal
Date: 2021.01.10 16:58:22 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 12/2018	नम्बर व तारिख अहकामे जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	No.54/2A Plot No.1-2-3, Behind Fire Station, Ringanwada, Daman-396210 के नॉमिनी राजूभाई उकाभाई को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म SPD Industries Pvt. Ltd., Survey No.54/2A Plot No.1-2-3, Behind Fire Station, Ringanwada, Daman-396210 पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.1.2021 को पेश हो। 22/12/2020 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:50:22 IST
Reason: SelfAttested